न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—01/2022 (2022/41) अपील नामान्तरण

उनवान

1—प्यारा पिता मेघा कुमावत निवासी धुलखेड़ा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

अपीलार्थी

बनाम

1—मोहन आत्मज ज्वारा कुमावत निवासी धुलखेड़ा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—मथुरा आत्मज ज्वारा कुमावत निवासी धुलखेड़ा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—प्यारी पत्नि ज्वारा कुमावत निवासी धुलखेड़ा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—संतोकी पुत्री ज्वारा कुमावत निवासी धुलखेड़ा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व नामान्तरणकरण संख्या 86 दिनांक 20.12.2007 ग्राम पंचायत बागोलिया

उपस्थित

1. राजु नायक — अधिवक्ता अपीलार्थी
2. अमर सिंह — अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस

निर्णय

दिनांक 31.03.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम धूलखेड़ा पटवार हल्का बागोलिया तहसील रायपुर की सीमा में अपीलान्ट प्यारा एवं अन्य के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 833 रकबा 0.07 है0, गे.मु. आबादी, 834 रकबा 0.07 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.14 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ खाता संख्या 54 पर दर्ज होकर स्थित थी। खातेदार प्यारा कुमावत का उक्त आराजियात में 1/2 हिस्सा दर्ज होकर निहित था। खातेदार अपीलान्ट प्यारा कुमावत ने आराजी संख्या 833 एवं 834 में निहित अपने 1/2 हिस्से मे से 2/3 हिस्सा रेस्पोडेन्टस संख्या 1 व 2 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के दिनांक 23.07.2007 को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द किया तथा शेष हिस्सा अपीलान्ट प्यारा कुमावत के रखा गया। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर पटवारी हल्का ने नामान्तकरण संख्या 86 भरकर ग्राम पंचायत बागोलिया में प्रस्तुत किया लकिन ग्राम पंचायत ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की अनदेखी करते हुए आराजी संख्या 833 व 834 में निहित प्यारा कुमावत के सम्पूर्ण 1/2 हिस्से का नामान्तकरण रेस्पोडेन्टस संख्या 1 व 2 के नाम गलत रूप से फैसल कर दिया जबकि उक्त आराजी संख्या मे से अपीलान्ट ने मात्र 1/3 हिस्सा ही विक्रय किया था तथा शेष 1/6 हिस्सा अपीलान्ट के नाम पर ही दर्ज किया जाना था। ग्राम पंचायत उक्त नामान्तकरण फैसल करने से पहले अपीलान्ट को नोटिस जारी नही किया गया तथा न ही अपीलान्ट को कोई सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया। ग्राम पंचायत बागोलिया ने बिना कानूनी प्रकिया अपनाते हुए उक्त नामान्तकरण आदेश पारित किया गया है जो काबिल निरस्ती योग्य है। अतः सादर प्रार्थना है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ पंचायत द्वारा नामान्तकरण संख्या 86 ग्राम धुलखेड़ा दिनांक 20.12.2007 को पारित आदेश को निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट को उक्त आराजियात के 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कराया जावे व उक्त हिस्से को अपीलान्ट के नाम दर्ज कराया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 17:23:27 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमा नम्बरः—01/2022 (2022/41) अपील नामान्तरण

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 11.01.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 4 की ओर अधिवक्ता अमरसिंह उपस्थित जिन्होन जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को रेकार्ड के अनुसार स्वीकार करते हुए अन्त में लिखित कथन व प्रार्थना पत्र सही होना स्वीकार करते हुए पजींबद्व विक्रय पत्र में दृशित तथ्यो के आधार पर अपील नामान्तकरण स्वीकार की जावे तो रेस्पोडेन्ट को कोई आपत्ति नही है।

उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपील में वर्णित भूमि अपीलार्थी की खातेदारी भूमि है जिसमें से अपीलार्थी द्वारा 1/3 हिस्सा विक्रय किया और शेष 1/6 हिस्सा अपीलार्थी का रहा किन्तु क्रेता के पक्ष में सम्पूर्ण 1/2 हिस्से का नामान्तकरण दर्ज कर दिया गया जिससे पुनः निरस्त कर प्रार्थी के नाम 1/6 हिस्सा दर्ज कराया जावे।

इसी के साथ प्रत्यर्थी अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए नामान्तकरण की अपील स्वीकार करने में कोई आपत्ति नही की है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया तो पाया कि अपील में वर्णित आराजियात मुल खातेदार प्यारा पिता मेघा कुमावत के नाम 1/2 हिस्से दर्ज रेकार्ड थी जिसमें रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.07.2007 को अपना 1/2 हिस्से में 2/3 हिस्सा विक्रय कर पंजींयन करवाया गया जिसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 86 क्रेता के नाम दर्ज किया गया जिसमें अपीलार्थी का सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता के नाम दर्ज कर दिया गया जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एवं मौके के विपरीत नामान्तकरण स्वीकृत किया गया जबकि विक्रता अपीलान्ट का 1/6 हिस्सा शेष रहता है जिस पर अपीलान्ट काबिज है। राजस्व रेकार्ड में क्रेता के नाम भूमि रजिस्टर्ड दस्तावेज के मुकाबले ज्यादा दर्ज हुई है। ऐसी स्थिति प्रस्तुत नामान्तकरण की अपील स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर ग्राम धूलखेड़ा के नामान्तकरण संख्या 86 दिनांक 20.12.2007 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार रायपुर को इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थी एवं विपक्षीगण को समुचित सुनवाई का अवसर देकर राजस्व रेकार्ड अनुसार अग्रिम कार्यवाही करे। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद दाखला नम्बर से शामिल हो।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2022 को ... लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 17:23:27 IST
Reason: SelfAttested

31.03.2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा